

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटा**

दिनांक	फर्द अहकाम	
20 <sup>7</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने के पश्चात श्री सायब राव उसके अधिकारता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मु० नं० 124/2014 मिसल आई० डी० नं० 2014/00 575 तार्थना पर अस्थायी मिषेघाजा अरम हाजिरी अरम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसव सुमार होकर बाड़ तन्मीव नं० से कम की जाकर सखिल इफत हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	